भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2017

जिसका उत्तर 30.07.2026 को दिया जाना है

फास्टैग वार्षिक योजना

2017. श्री लालजी वर्मा:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में पंजीकृत फास्टैग प्रयोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) 3,075 रुपये की फास्टैग वार्षिक योजना के अंतर्गत शामिल प्रयोक्ताओं की संख्या कितनी है;

(ग) एक ही मार्ग पर साठ किलोमीटर से कम दूरी के प्रावधान के कारण बंद किए जा रहे टोल प्लाज़ाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने दूरी-आधारित टोल संग्रहण को सक्षम बनाने के लिए देशभर में भौतिक टोल प्लाज़ाओं के स्थान पर पूर्णतः उपग्रह-आधारित जीएनएसएस तथा स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रौद्योगिकी स्थापित करने हेतु कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जून 2026 तक, देश भर में लगभग 6.23 करोड़ फास्टैग सक्रिय हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर इलेक्ट्रॉनिक टोल लेनदेन के लिए उपयोग किए जाते हैं।

(ख) गैर-वाणिज्यिक कारों, जीपों और वैनों के लिए वार्षिक पास योजना 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी हो गई है। जून, 2026 तक, 77 लाख से अधिक वार्षिक पास जारी किए गए हैं, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा पर 63 करोड़ लेनदेन दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में, कार/जीप/वैन द्वारा किए गए कुल इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (ईटीसी) लेनदेन का लगभग 33% वार्षिक पास लेनदेन है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा स्थापित किए जाते हैं, जिसमें नियम 8 के उप-नियम (2) में यह निर्धारित किया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के एक ही खंड पर और एक ही दिशा में कोई अन्य शुल्क प्लाजा 60 किमी की दूरी के भीतर स्थापित नहीं किया जाए। इसके अलावा उक्त नियम के परंतुक में यह भी कहा गया है कि जहां निष्पादक प्राधिकारी आवश्यक समझता है, वह लिखित में दर्ज किए जाने

वाले कारणों से, 60 किमी की दूरी के भीतर एक और शुल्क प्लाजा स्थापित कर सकता है या स्थापित करने की अनुमति दे सकता है।
जिन मामलों में शुल्क प्लाजा के बीच कम अंतर होता है, वहां शुल्क प्लाजा के स्थान की जांच एनएच शुल्क नियम 2008 के प्रावधानों के अनुसार एक समिति द्वारा सभी स्थानीय कारकों और अन्य आस-पास के राष्ट्रीय राजमार्गों पर विचार करके संग्रह शुरू करने के संबंध में भारत के राजपत्र में शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को की जाती है।

(घ) उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों से युक्त शीर्ष समिति और उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी विचारों, उल्लंघन और समग्र परिचालन नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए उपग्रह आधारित जीएनएसएस टोलिंग प्रणाली के लिए आगे विचार-विमर्श करने की सिफारिश की है।
तथापि, टोल संचालन को बढ़ाने और वाहनों के निर्बाध आवागमन को सक्षम बनाने के लिए, सरकार ने आवंटित परियोजनाओं के परिणामों और प्रभावशीलता के आधार पर, 4-लेन और उससे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों पर मल्टी-लेन फ्री फ्लो (एमएलएफएफ) प्रयोक्ता शुल्क संग्रह की चरणबद्ध शुरुआत को अपनाया है। एमएलएफएफ टोलिंग प्रणाली के तहत, मौजूदा फास्टैग प्रणाली के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क की कटौती के लिए गैन्ट्री-माउंटेड उच्च-प्रदर्शन रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (एएनपीआर) कैमरों का उपयोग किया जाता है। यह बाधा-रहित टोलिंग की सुविधा प्रदान करता है, जिसमें वाहन प्रयोक्ताओं को रुकने, धीमा करने या निर्दिष्ट लेन में रहने की आवश्यकता के बिना प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाता है।
मौजूदा फास्टैग (आरएफआईडी) + एएनपीआर/एआई-प्रौद्योगिकी का उपयोग करके मल्टी-लेन फ्री फ्लो आधारित बैरियर रहित टोलिंग 17 शुल्क प्लाजा पर शुरू की गई है। 17 आवंटित शुल्क प्लाजा में से 05 शुल्क प्लाजा पहले से ही शुरू हो चुके हैं, अर्थात चौर्यासी शुल्क प्लाजा (सूरत, गुजरात); मुंडका शुल्क प्लाजा (दिल्ली); घरौंडा शुल्क प्लाजा (हरियाणा); मनोहरपुरा शुल्क प्लाजा (राजस्थान); दौलतपुर शुल्क प्लाजा (राजस्थान)। एमएलएफएफ के तहत बैरियर रहित टोलिंग तंत्र के लिए अतिरिक्त 104 टोल प्लाजा की पहचान की गई है।
